Filing No. 3332/2026
Bail application No. 912/2026

UPJB010035222026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जिला अमरोहा।

पीठासीन अधिकारी : विवेक (उच्चतर न्यायिक सेवा)

{ JO CODE-UP2012 }

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–912 / 2026

माया देवी आयु 68 वर्ष पत्नी पीतम, निवासी ग्राम नसीरपुर, थाना डिडौली, जिला अमरोहा।

..... आवेदिका / अभियुक्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजक

मुकदमा अपराध संख्या–180 / 2026
धारा–103(1) व 61(2) भारतीय न्याय संहिता
थाना–डिडौली, जिला अमरोहा।

जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण

08.06.2026

उपरोक्त प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्व आवेदिका / अभियुक्ता **माया देवी** की ओर से जमानत हेतु यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

02. संक्षेप में अभियोजन केस के अनुसार दिनांक 09.05.2026 को वादी मुकदमा पीतम सिंह द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना डिडौली पर इस आशय की दर्ज करायी कि आज सुबह समय लगभग 10:00 बजे सूचना मिली कि उसके पुत्र दुष्यन्त उम्र 32 वर्ष का शव ग्राम श्यामपुर के पास सूखी नहर में पड़ा है। इस सूचना पर उसने जाकर देखा कि उसके पुत्र दुष्यन्त को सिर में चोटें लगी है और मौके पर काफी खून निकला हुआ है। उसे शक है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके पुत्र दुष्यन्त की हत्या की है।

03. आवेदिका / अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया गया।

04. आवेदिका / अभियुक्ता के विद्वान की ओर से तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि वह मृतक दुष्यन्त की सगी मां है जिसकी अज्ञात व्यक्तियों ने हत्या कर दी थी जिसके संबंध में उसके पति पीतम द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी थी। दौरान विवेचना पुलिस द्वारा उसके परिवार को ही उक्त अभियोजन में झूंठा फंसा दिया। आवेदिका / अभियुक्ता ने न तो अपने पुत्र की हत्या की और न ही हत्या का कोई षड़यंन्त रचा। वह 68 वर्ष की वृद्व महिला है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। उसका पुत्र व पति भी जेल में निरूद्व है तथा घर पर कोई देखभाल करने वाला नहीं है। वह विचारण में पूर्ण सहयोग करेगी तथा जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगी। उपरोक्त आधारों पर जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका / अभियुक्ता ने अपने पति पीतम सिंह के साथ षड़यन्त्र रचकर

Digitally signed by VIVEK AGGARWAL
Date: 2026.06.08 16:56:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अपने पुत्र दुष्यन्त की हत्या संकित व जोगेन्द्र उर्फ जौली से कराई है। उपरोक्त आधारों पर जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

05. अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार मामले में घटना दिनांक 09.05.2026 की सुबह 10:00 बजे से पूर्व किसी समय की है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 09.05.2026 को समय 19:19 बजे सम्बन्धित थाने पर अज्ञात में दर्ज हुई है।

केस डायरी पर उपलब्ध मृतक दुष्यन्त की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक के शव का पोस्टमार्टम दिनांक 10.05.2026 को समय 11:50 ए.एम. पर हुआ है तथा मृतक की मृत्यु गला दबाने से दम घुटने के कारण होना बताया गया है।

06. केस डायरी के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि गांव वालों से प्राप्त जानकारी के आधार पर वादी मुकदमा पीतम सिंह से गहन पूछताछ की गयी, जिसके आधार पर वादी मुकदमा स्वयं, उसकी पत्नी श्रीमती माया देवी (आवेदिका), उसका बेटा संकित व जोगेन्द्र उर्फ जोगी को मामले में अभियुक्त बनाया गया तथा आवेदिका को मृतक की हत्या की योजना में शामिल होना बताया गया है। घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं बताया गया है। आवेदिका, मृतक की माता है तथा उसे लगभग 68 वर्ष की महिला होना बताया गया है। आवेदिका **लगभग 25 दिन** से जिला कारागार में निरूद्ध है। मामले में विवेचना अभी प्रचलित है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रश्नगत मामले में गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना आवेदिका को जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार आवेदिका/अभियुक्ता का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिका/अभियुक्ता **माया देवी** का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

आवेदक उपरोक्त द्वारा मुबलिग 1,00,000/–(एक लाख) रुपये का निजी बन्धपत्र एवं इतनी ही धनराशि के **दो प्रतिभू** सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन उसे जमानत पर रिहा किया जायेः–

1– आवेदिका, विवेचना/विचारण में सहयोग करेगी।

2– आवेदिका, गवाहों को डराने व धमकाने का प्रयास नहीं करेगी।

3– आवेदिका, मामले का विचारण प्रारम्भ होने पर न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत/जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहेगी।

4– आवेदिका, आरोप विरचित करने के दिनांक व कथन अंतर्गत धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नियत दिनांक पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगी तथा कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेगी।

5– विचारण के समय मामले में साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर साक्षीगण के उपस्थित रहने पर स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेगी।

यह कि उपरोक्त शर्तों का आवेदिका द्वारा उल्लंघन किया जाता है, तो उसकी जमानत विचारण न्यायालय द्वारा विधि अनुसार निरस्त की जा सकेगी।

दिनांक 08.06.2026

(विवेक)
सत्र न्यायाधीश
अमरोहा।

टाईपकर्ताः इकबाल अहमद, आशुलिपिक